संख्या-311/2017/121/22-2-2017-17(119)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह निवासी जनपद-वाराणसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह, निवासी-ग्राम-भिखारीपुर, थाना-मिर्जामुराद, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है। बन्दी ने ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23.03.1984 की रात्रि में हुयी हत्या व अभियुक्तगण की जमानत हो जाने के कारण दिनांक 07/08.05.1984 की रात्रि लगभग 01:00 बजे 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चिरंजीवी राय के घर पर हमला कर बन्दूक, कट्टे एवं लाठी से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या एवं 05 लोगों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203ए/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, जौनपुर द्वारा दिनांक 01-08-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् किये गये, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 04 सहअभियुक्ता कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में कारागार से रिहा हो चुका है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.07.2016 तक 17 वर्ष 09 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23.03.1984 की रात्रि में हुयी हत्या व अभियुक्तगणों की जमानत हो जाने के कारण दिनांक 07/08.05.1984 की रात्रि में 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टे एवं लाठी से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 लोगों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी वीरेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-40763) श्री तेज बहादुर सिंह निवासी जनपद-वाराणसी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-311/2017/121(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-311/2017/121/22-2-2017-17(119)/2007**

**दिनांक 21 अप्रैल, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह, निवासी-ग्राम-भिखारीपुर, थाना-मिर्जामुराद, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है। बन्दी ने ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23.03.1984 की रात्रि में हुयी हत्या व अभियुक्तगण की जमानत हो जाने के कारण दिनांक 07/08.05.1984 की रात्रि लगभग 01:00 बजे 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चिरंजीवी राय के घर पर हमला कर बन्दूक, कट्टे एवं लाठी से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या एवं 05 लोगों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203ए/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, जौनपुर द्वारा दिनांक 01-08-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् किये गये, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में कारागार से रिहा हो चुका है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.07.2016 तक 17 वर्ष 09 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23.03.1984 की रात्रि में हुयी हत्या व अभियुक्तगणों की जमानत हो जाने के कारण दिनांक 07/08.05.1984 की रात्रि में 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कट्टे एवं लाठी से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 लोगों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in